ROHIT DUBEY
advocate MP high court indore
Mob.9303025702

डिमाण्ड ऑफ जस्टिस

दिनांक – 17/12/2025

प्रति,

1. श्री कैलाश मकवानाजी,
   पुलिस महानिर्देशक म.प्र.भोपाल (म.प्र.)
2. श्री संतोष सिंहजी
   पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस इंदौर (म.प्र.)

विषय – **अपराध शाखा नगरीय पुलिस इंदौर में पदस्थ निरीक्षक श्री सुजीत श्रीवास्तव के द्वारा फोन पर अभद्रतापूर्ण व्यवहार करने एवं घर से उठा लेने की धमकी देकर अपने पदीय कर्तव्यों के विपरीत कृत्य किये जाने एवं प्रार्थी के मौलिक अधिकारों का हनन करने के संबंध में ।**

महोदय,

मैं प्रार्थी अतुल अग्रवाल पिता महेश अग्रवाल, निवासी 111–ब्रजेश्वरी एक्सटेंशन, इंदौर में निवास करता हूँ ।

1. मुझ प्रार्थी द्वारा कमलशर्मा पिता स्व. ओ.पी.शर्मा निवासी – 24/3 एस 302 ओल्ड पलासिया के विरूद्ध माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी के समक्ष प्रकरण कमांक यू.एन.सी.आर.10290/24 विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रस्तुत किया था जो माननीय न्यायालय के समक्ष वर्तमान में विचाराधीन है।
2. मुझ प्रार्थी के प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पुलिस थाना तिलकनगर को जांच कर न्यायालय के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 20/03/2024 को आदेशित किया था जिसके परिपालन में पुलिस थाना तिलकनगर जिला इंदौर द्वारा जांच की जा रही है ।

ROHIT DUBEY
advocate MP high court indore
Mob.9303025702

3. मुझ प्रार्थी के विरुद्ध अनावेदक कमल शर्मा पिता स्व.ओ.पी. शर्मा के द्वारा एक आवेदन अपराध शाखा जिला इंदौर में तथ्यों एवं न्यायालय के प्रकरण की जानकारी को छुपाकर प्रस्तुत किया गया जिसमें दिनांक 28/10/2025 को एक सूचना पत्र निरीक्षक विष्णु वास्कलेजी द्वारा मुझे जारी कर दिनांक 30/10/2025 को उपस्थित होकर अपने कथन तथा दस्तावेज सहित बुलाया गया जिसपर मुझ प्रार्थी द्वारा समस्त दस्तावेज एवं जानकारी निरीक्षक श्री विष्णु वास्कलेजी को उपलब्ध करवा दी गई ।

4. मुझ प्रार्थी को उक्त जानकारी उपलब्ध कराने के पश्चात पुनः एक सूचना पत्र कार्यालय पुलिस निरीक्षक अपराध जिला इंदौर का दिनांक 08/12/2025 को प्राप्त हुआ जिसमें निरीक्षक श्री सुजीत श्रीवास्तव द्वारा दिनांक 09/12/2025 को बिना कारण एवं जानकारी के शाम 4.00 बजे कार्यालय मे उपस्थित होने के लिये निर्देशित किया जिसपर मैं दिनांक 09/12/2025 को 4.00 बजे कार्यालय में उपस्थित हुआ। जहां निरीक्षक श्री सुजीत श्रीवास्तव मौजूद नहीं थे तो मुझ प्रार्थी द्वारा उनके मोबाईल नंबर 9425821125 पर फोन किया गया तो उनके द्वारा मेरा फोन नहीं उठाया गया। तकरीबन 5 बजे उनके द्वारा मुझे फोन कर पुनः कार्यालय बुलाया गया । मुझ प्रार्थी द्वारा उनसे शिकायत के संबंध में जानकारी चाही तो उनके द्वारा बताया गया कि कमल शर्मा द्वारा शिकायत की गई है उसी के संबंध में तुम्हारे कथन लेखबद्ध किये जाना है। मुझ प्रार्थी द्वारा निरीक्षक श्री सुजीत श्रीवास्तवजी को अवगत करायां कि पूर्व में भी इसी संबंध में मैं सारे दस्तावेज एवं अपना पक्ष निरीक्षक विष्णु वास्कलेजी को बता चुका हूँ तथा माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी न्यायालय के समक्ष प्रकरण विचाराधीन है। मै।

ROHIT DUBEY
advocate MP high court indore
Mob.9303025702

फिर भी आपको समस्त दस्तावेज सहित 2-3 दिन में उपस्थित हो जाउंगा किंतु श्री सुजीत श्रीवास्तव इस बात से अत्यधिक आक्रोशित हो गये और उनके द्वारा मुझे धमकी दी गई कि मैं तुम्हारे खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज कर लूंगा और तुम्हें घर से उठा लूंगा । तुम्हें हिन्दी समझ नहीं आती, अगर आज नहीं आये तो रात को मुकदमा दर्ज कर कल तुम्हें उठा ले जाउंगा। इस प्रकार से श्री सुजीत श्रीवास्तवजी द्वारा मेरे साथ अभद्रता पूर्वक व्यवहार कर धमकी दी गई है ।

5. मुझ प्रार्थी के अलावा निरीक्षक सुजीत श्रीवास्तव द्वारा एक सूचना पत्र दिनांक 08/12/2025 को श्रीमती जया पति नरेन्द्र मालवीय को भी जारी कर दिनांक 09/12/2025 को शाम 4.00 बजे उपस्थित होने के लिये निर्देशित किया था वह भी श्रीमती जया पति नरेन्द्र मालवीय भी शाम 4.00 बजे कार्यालय में उपस्थित हुई थी तो श्री सुजीत श्रीवास्तव द्वारा उन्हें शाम 6.30 बजे कार्यालय आने के लिये निर्देशित किया था जबकि एक महिला को सामान्य तौर पर सूर्यअस्त के पश्चात किसी कार्यालय में उपस्थित होने के लिये निर्देशित नहीं किया जा सकता ऐसे नियम व प्रावधान उपलब्ध हैं किंतु उसके उपरांत भी श्री सुजीत श्रीवास्तव द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए इस प्रकार के कृत्य किये जा रहे हैं जो पूर्णतः अवैधानिक हैं ।

6. मुझ प्रार्थी द्वारा निरीक्षक सुजीत श्रीवास्तव के अवैधानिक कृत्य के संबंध श्रीमान पुलिस उपायुक्त महोदय अपराध शाखा नगरीय पुलिस इंदौर को भी अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर मौखिक व लिखित रूप में अवगत कराया गया जिसपर उनके द्वारा वरिष्ठ अधिकारी को इस संबंध में जांच करने के निर्देश दिये गये थे किंतु उसके

ROHIT DUBEY
advocate MP high court indore
Mob.9303025702

उपरांत भी निरीक्षक श्री सुजीत श्रीवास्तव द्वारा मुझ प्रार्थी को फोन पर धमकाकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है जो कि मुझ प्रार्थी को भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकारों का हनन है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त विषय पर संज्ञान लेते हुए योग्य कार्यवाही करने के निर्देश संबंधित को दिये जाने की कृपा करें अन्यथा मुझ प्रार्थी को अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण एवं न्याय पाने के लिये माननीय उच्च न्यायालय की शरण लेने के लिये विवश होना पड़ेगा । यही विनय है ।

प्रार्थी

अतुल अग्रवाल पिता महेश अग्रवाल,
निवासी 111–ब्रजेश्वरी एक्सटेंशन, इंदौर
मो.नं.8319162439

<u>प्रतिलिपि –</u>

श्री राजेश त्रिपाठीजी, पुलिस उपायुक्त अपराध शाखा
नगरीय पुलिस इंदौर (म.प्र.)